

संख्या उद्योग-भू (खनि-4) लघु 469/98-9335  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
उद्योग विभाग भौमिकिय शाखा  
दिनांक शिमला - 171001

23-12-2017

सेवा में

निदेशक,  
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2

विषय:- जिला बिलासपुर की लघु खनिज खानों/खड्डों की निविदा एवं नीलामी सूचना बारे।  
महोदय,

जिला बिलासपुर की 09 लघु खनिज खानों/ खड्डों से रेत, पत्थर, बजरी एकत्रित एवं उठाने हेतु इस विभाग द्वारा निविदाएं एवं नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिला बिलासपुर में पड़ने वाली खानों के लिए निविदाएं दिनांक 29-01-2018 को नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त निविदाएं एवं नीलामी कमेटी द्वारा किसान भवन बिलासपुर जिला बिलासपुर में खोली जाएगी। सूचना का प्रारूप जो कि चार प्रतियों में पत्रा के साथ संलग्न किया जा रहा को 03 दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में छपवाने की कृपा करें।

भवदीय  
हस्ता0/-  
निदेशक उद्योग  
हिमाचल प्रदेश  
दिनांक: 23-12-2017

पृ0सं0: उद्योग-भू0 (खनि-4)469/98-9336-9342  
प्रतिलिपि सेवा में:-

- 1 प्रधान सचिव (उद्योग)हि0 प्र0 सरकार शिमला -2 को उनके पत्रा संख्या इण्ड -11(एफ)6-36/2017 दिनांक 7-10-2017के सन्दर्भ में सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है।
- 2 नियन्त्राक मुद्रण एवं लेखन, हि0 प्र0 शिमला -5को राजपत्रा में छपवाने हेतू।
- 3, उपायुक्त, जिला बिलासपुर हि0 प्र0 को निविदाएं एवं नीलामी नोटिस की प्रति सहित।
- 4, वन मण्डल अधिकारी बिलासपुर जिला बिलासपुर हि0 प्र0 को निविदाएं एवं नीलामी नोटिस की प्रति सहित।
- 5, अधिक्षण अभियन्ता, हि0 प्र0 सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, जिला बिलासपुर हि0 प्र0 को निविदा एवं नीलामी नोटिस की प्रति सहित।
- 6, अधिक्षण अभियन्ता, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग बिलासपुर को निविदाएं एवं नीलामी नोटिस की प्रति सहित।
- 7, खनि अधिकारी बिलासपुर हि0 प्र0 को निविदाएं एवं नीलामी फार्म की 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ तथा अन्य कार्यालयों के परिचालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

हस्ता0/-  
निदेशक उद्योग  
हिमाचल प्रदेश

**हिमाचल प्रदेश सरकार**  
**उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)**  
**शिमला-171001**  
**निविदा-एवं-नीलामी सूचना**

उद्योग-भू(खनि-4)लघु-469 / 2000-८ -9335-9342

दिनांक: 23-12-2017

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला बिलासपुर में पड़ने वाली 9 लघु खनिज खानों/खड्डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी ;जमदकमतदृबनउ।नबजपवदद्ध की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्ड का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है।

निविदाएं खनि अधिकारी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमन्त्रित की जा रही है। निविदा दिनांक **28-01-2018** को शाम 4 : 00 बजे तक खनि अधिकारी बिलासपुर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि ;मदजतलद्ध खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक **29-01-2018** को प्रातः **11:00** बजे उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी किसान भवन, बिलासपुर, जिला बिलासपुर में की जाएगी, जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, बिलासपुर जिला, बिलासपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्डों की जानकारी विभागीय मूड 'पजम पीपडंबीसणदपबणपदधदकनेजतल से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

- 1- पैनकार्ड ।
- 2- खन् सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र।
- 3- अनुमोदन प्रमाण पत्रा ;बद्ध जोकि खनि अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।
- 4- निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुवलिंग 50000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगे ।
- 5- कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज एवं मुवलिंग 50,000/-रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे । नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, बिलासपुर से प्रवेश पत्रा प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्रा पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।

- 6- बैंक ड्राफ्ट सम्बंधित खनि अधिकारी, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/ निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
- 7- यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्रा से कम क्षेत्रा की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसें हिमाचली ठवदंपिकम भतजपपिबंजम प्रस्तुत करना होगा।
- 8- निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी।
- 9- निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हों व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।
- 10- निविदा खोलने के दौरान आवेदक का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा।
- 11- नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी बिलासपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मुल्य 5,000/- रू0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए **निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे** में खनि अधिकारी, बिलासपुर के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में **निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम** लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बाईं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

हस्ता० /-  
निदेशक उद्योग  
हिमाचल प्रदेश

**DETAIL OF THE RIVER QUARRIES PROPOSED FOR TENDER-CUM-AUCTION IN DISTRICT BILASPUR**

Sr. No.	Name of the Quarry			Mauza & Mohal	Name of Mineral	Reserve Price (in Rupees)
		Khasra No	Area (in Hectares)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
1.	Sandyar	2109	16-99-53	Sandyar	Sand, Stone & Bajri	1,00,00,000/-
2.	Fagog	55(12-13 Bighas) 52(58-19 bighas)	5-38-79	Fagog	Sand, Stone & Bajri	36,00,000/-
3.	Bhallu	84/2	5-55-35	Bhallu	Sand, Stone & Bajri	37,00,000/-
4.	Jhareri(I)	100	8-16-83	Jhareri	Sand, Stone & Bajri	55,00,000/-
5.	Jhareri(II)	76	5-97-49	Jhareri	Sand, Stone & Bajri	40,00,000/-
6.	Ree	41 (45-02 Bighas) 46 (41-18 Bighas)	6-54-68	Ree	Sand, Stone & Bajri	44,00,000/-
7.	Malangan-I	354/339	5-41-43	Malangan	Sand, Stone & Bajri	36,00,000/-
8	Malangan-II	299,312	7-87-49	Malangan	Sand, Stone & Bajri	53,00,000/-
9	Dehlwin	60 ( 25-11 Bighas) 246/229 (43-00 Bighas)	5-15-84	Dehlwin	Sand, Stone & Bajri	34,00,000/-

नोट:- उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करती है तथा थ्वतमेज बसमंतदबम लेना अनिवार्य है।

## निविदा-एवं-नीलामी शर्तें

- 1- विभाग द्वारा जिला बिलासपुर में खाली पड़ी लघु खनिज की खानों को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अर्न्तगत खनन हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खनन हेतु रायल्टी राशि के एवज में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।
- 2- निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाव चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।
- 3- निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन से सम्बंधित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी।
- 4- सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, क्पेजतपबज उपदमंतस थ्वनदकंजपवद थ्वदक व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा न्वतिवदज च्मउपनउ के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रौमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह न्वतिवदज च्मउपनउ राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा स्मजजमत व प्दजमदज जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।
- 5- नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।
- 6- बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग ; च्ववसपदहद्ध आदि की वजह से संदयास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।
- 7- यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों की पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
- 8- जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भौगोलिक सीमा/स्थायी चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बंधित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बंधित क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर सकता है।

- निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्रा की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।
- 9- 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्रा हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्रा, ठवदंपिकम ब्रतजपपिबंजमद्ध जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टेर व उससे कम क्षेत्रा वाली खडडो हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खडडो की बोली दे सकता है।
- 10- अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मुख्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
- 11- खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन, ब्रसमंतंदबमद्ध तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम नजीवतपजल से स्मजजमत वऱिदजमदज जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी होंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में म्दअपतवदउमदज बसमंतंदबम या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा म्दअपतवदउमदज बसमंतंदबम व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त स्मजजमत वऱिदजमदज की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो स्मजजमत वऱिदजमदज की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा । तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता म्दअपतवदउमदज बसमंतंदबम व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में स्मजजमत वऱिदजमदज रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। म्द प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्रा के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्रा में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। म्दअपतवदउमदज बसमंतंदबम व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।
- 12- रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्रा का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति, ब्रसमंतंदबमद्ध व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व त्महपेजमतमक फनंसपिमक च्मतेवद से डपदपदह च्चंद बनवाना अनिवार्य है । उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त स्मजजमत वऱिदजमदज जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्रा का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम नजीवतपजल से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। स्मजजमत वऱिदजमदज में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।
- 13- निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

- 14— शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित डपदपदह च्चंद के अनुरूप कार्य करेगा । डपदपदह च्चंद में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है । पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को डपदपदह च्चंद फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार डपदपदह च्चंद की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।
- 15— नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्रा को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्व्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।
- 16— निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्रा से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क़शर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क़शर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क़शर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क़शर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से नियमों के अर्न्तगत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोलडर की खुली बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी नया स्टोन क़शर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अर्न्तगत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हों तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्रा से उठाए गए खनिजों को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क़शर में प्रयोग करने की अनुमति होगी।लेकिन यदि निविदा –एवं–नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्रा 2हैक्टर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2हैक्टर से कम क्षेत्रा) के आधार पर, नया स्टोन क़शर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी ।
- 17— जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्रा कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी ।
- 18— खनन हेतू मशीन उपकरण डमबीदपबंसध्लकतंसपब माबंअंजवतध्जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अर्न्तगत व एवम म्दअपतवदउमदज ब्समंतंदबम में दर्शाई गई शर्तों के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है ।
- 19— खान/नदी/खड्ड में पहुँचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों / विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुँचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।
- 20— नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्रा में यदि कोई निजि भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्याक्ति/व्यक्तियों के भू- स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बन्धित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।
- 21— बोलडर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।
- 22— अवैध खनन को रोकने हेतू लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा ।
- 23— ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें ।

- 24- खनन कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा।
- 25- खनिजों के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए।
- 26- यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्रों को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- 27- ठेकेदार ठेके पर स्वीकृत क्षेत्रों से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा।
- 28- खनन कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- 29- ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित १६६६ छवण 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या १६६६ छवण 1077/2006 खतरी राम अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे में पारित आदेश भी मान्य होंगे।
- 30- ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्रों की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना ३३ फार्म से दुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
- 31- ठेका धारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 32- सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।
- 33- सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तों ठेका शर्तनामा निषपादन के दौरान लगा सकती है।
- 34- सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, नचतिवदज च्तमउपनउ व त्रौमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।